-1-

छब्बीस-२ <u>चि</u>वालय

विषय :

याचिका कमांक डब्ल्यू०पी० 464/2016 श्री संदीप पाराशर विरुद्ध म०प्र० शासन एवं अन्य।

--00--

पंजी कमांक 241/2016/26-1 दिनांक 17/02/2016

--00--

डिप्टी रजिस्टार मा० उच्च न्यायालय इन्दौर से प्राप्त पत्र

का कृपया अवलोकन करें। 2/ डिप्टी रिजस्टार माँ० उच्च न्यायालय इन्दौर से प्राप्त डब्ल्यू०पी०/464/2016 श्री संदीप पाराशर विरुद्ध म०प्र० शासन एवं अन्य संबंध में प्रकरण विभाग में प्राप्त हुआ है।

3/ अतः उक्त प्रकरण में प्रभारी अधिकारी की नियुक्ति आदेश का प्रस्ताव प्राप्त करने हेतु नस्ती संचालक, सामाजिक न्याय एवं

निशक्तजन कल्याण को अंकित करना चाहेगें।

18216

30 रामि

ASD ASD

मामणिक न्याम एवं निः श्राध्तणने कल्यान का को कित करना न्याहें ने

30 470

संभूक केपार्थक

SUBONI (CAMPIN) 26/12

19.2.16

23/2/16

20/20

सार-पाय १५.

À

याचिका कमांक डब्ल्यू०पी० 464/2016 श्री संदीप

---00---

पाराशर विरुद्ध म०प्र० शासन एवं अन्य।

का विभाग

पूर्व पृष्ठ से:- विषयांकित प्रकरण में वादी श्री संदीप पाराशर एवं अन्य द्वारा नियमित पद पर नियमित वेतनमान न मिलनें से माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ इंदौर में डब्ल्यू पी 464/2016 याचिका दायर की गई है।

2. प्रकरण में वादी द्वारा प्रतिवादी क0 1 पर प्रमुख सचिव, समाज कल्याण विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल, प्रतिवादी क0 2 पर आयुक्त/संचालक सामाजिक न्याय विभाग, 1250 तलसी नगर भोपाल, प्रतिवादी क0.3 पर संयुक्त संचालक, सामाजिक न्याय इंदौर संभाग इंदौर म.प्र. एवं प्रतिवादी क0 4 पर सचिव/अध्यक्ष मध्यप्रदेश दृष्टिहीन कल्याण संघ इंदौर म.प्र. को प्रतिवादी बनाया गया है।

3. चूंकि प्रकरण इंदौर जिले से संबंधित है, ऐसी स्थिति में शासन पक्ष समर्थन हेतु संयुक्त संचालक, सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण, इंदौर संभाग इंदौर को प्रभारी अधिकारी नियुक्त किये जाने की अनुशंसा की जाती है।

अतः अनुरोध है कि संयुक्त संचालक, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण, इंदौर संभाग इंदौर को प्रभारी अधिकारी नियुक्त कर आदेश जारी करनें का कष्ट करें।

cur) my

4/3//6

281-82/2016/201 05/03/16

D9-8-11/2018/26-1 विषयः या कि अ १ में . 464/2016 स्त्री संदीव पाराशार विकास मा. म. मासन त्वे अन्य। पूर्व युक्त मान कुपमा पूर्व प्रथम क्या अवाकावना करे। विषयां कित सकाला में दिनांक - 53 2016 की समार अपनिकारी की नियुक्ति भागेदा गारी कर दिये अतः विभाग द्वारा गारी आदश पर विश एवं विशामी कृषि विभाग से युतिस्वाग आपे 19921 UIT 31210 21111 8.3.16 9/3/16 रिष्ट विष्णा DS

O छब्बीस-२ सचिवालय विषय: का विभाग BY REGD. A.D. PUSE http://172.25.186.5/cishcbom/Demo//menu.php

IN THE High Court of Judicature at Jabalpur: Bench at Indore

Process Id: 4104/2016

WP/464/2016

From

Deputy Registrar, High Court of Judicature at Indore सामाजिक न्याय विभाग, वंजी कं 241/20/6/126 726/ Against Admission
Fixed for 21-04-2016
WP-DA-6
Respondent No. 1

To,

The State of M.P. Through Principal Secretary, Social Welfare Department.

Vallabh Bhawan Mantralaya,

District- Bhopal (MADHYA PRADESH)

0960

Indore 23-01-2016

Sub: Notice to Respondent No. 1 in writ Petition(Mandamus/Prohibition/ Certiorari/Quo Warranto) No. WP/ 464/ 2016

Sir/Madam.

I am directed to inform you that one **Sandeep Parashar** has filed a petition under Article 226 of the Constitution of India (Copy enclosed) in this Court, and the same is registered as Writ Petition (Mandamus/ Prohibition/ Certiorari/ Quo Warranto) No. **WP/464/2016**

Take notice that you are required to submit a return personally or through a duly engaged Advocate on or before 21-04-2016. If no return is filed as aforesaid, the petition will be heard and decided exparte.

(Seal of the Court)

HIGH COUP

Encl: Copy of Petition

AFFIXED AT INCOME

13740

802

16.2.16 % 10 grid

Your's faithfully

DEPUTY REGISTRAR

1 of 4 17-2-16-4-50 PM.

मध्यप्रदेश शासन सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग मंत्रालय //आदेश//

भोपाल, दिनांक 5-3-20/6
प्रमंक /एफ- 8/11 /2016/26-1, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 (1908 का
अधिनयम संख्या द्रमंक-5) के आदेश सत्ताईस के नियम 1 तथा 2 के अधीन प्रदत्त
शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए माननीय उच्च न्यायालय, इति में दाया मिका विरुद्ध
म.प्रशासन में लिया की प्रयोग पाराश एक अन्य विरुद्ध
म.प्रशासन में लिया की किए प्रस्ति। और से प्रभारी अधिकारी के रूप में
आधिवचनों पर हस्ताक्षर करने और उन्हें सत्यापित करने के लिये तथा कार्य करने और
जपसंजात होने के लिये नियुक्त करते हैं। प्रभारी अधिकारी को यह आदेश दिया जाता
है कि मध्यप्रदेश विधि और विधायी कार्य विभाग, नियमावली में वर्णित कर्तव्यों तथा
उत्तरदायित्वों के अतिरिक्त वह अपनी नियुक्ति के तुरन्त प्रश्चात् अन्य बातों के साथ
ऐसी शिति जिन्नके ब्यौरे नीचे दिये गये है, निम्नलिखित कार्य करेगा --

- (१) प्रभारी अधिकारी, मामले के तथ्यों के बारे में तुन्त ऐसी जाँच करेगा जैसी कि आवश्यक हो और उक्त कडिका में उठाये गये समस्त बिन्दुओं पर गैरा अनुसार उत्तर देते हुए और ऐसी अतिरि त जानकारी देते हुए जिनमें की मामले के संचालन में महाधिववता/शासकीय अभिभाषक को सहःयता पहुँचाने की संभावना है, रिगोर्ट तैयार व रेगा, यदि किसी प्रक्रम पर विधि विभाग से परामर्श किया गया था, तो उत्त विभाग की राय भी रिपोर्ट में विनिदिंख्ट की जावंगी।
- समस्त सुसंगत फाइलें, दस्तावेज, नियम, अधिसूचनाएँ तथा आदेश एकत्रित करेगा।
- वाद पत्र याचिका में उटाये गये समस्त बिन्दुओं का पैरा अनुसार उत्तर देते हुए और ऐसी अतिरिक्त जानकारी देते हुए जिनमें कि शासकीय

6

अभिभाषक	की	सहायता	पहुँचने	की	संभावना	है,	एक	रिपोर्ट	तैयार
करेगा।									

- उक्त रिपोर्ट तथा सामग्री के साथ शासकीय अधिवक्ता से सम्पर्क करेगा
 शासकीय अधिवक्ता की सहायता से लिखित कथन/उत्तर तैयार
 करवाएगा।
 - प्रभारी अधिकारी निम्नलिखित कागज/ पत्र भेजेगा:—
 क-वाद पत्र की एक प्रति के साथ सरकार की एक रिपोर्ट
 ख-प्रस्तावित लिखित कथन का एक प्रारूप
 ग-उन सभी दस्तावेजों की एक सूची.जिन्हें साक्ष्य स्वरूप फाइनें करना
 प्रस्तावित है और जिनकी प्रस्तुत रिपोर्ट में अपेक्षा की गई है।
 घ-मामले में विशुद्धिकरण के लिए आवश्यक कागज/पत्रों की प्रतियाँ
 इसमें बाद की जुनवाई की तारीख भी वर्णित होनी चाहिए।
 - ि मामले की तैयारी और संचालन करने में शासकीय अधिवक्ता का सहयोग करना और मानले उसके प्रक्रम और प्रगति में नियत किये गये कर्तव्यों से स्वयं को सदैव ही अदगत रखना।
 - जब भी कोई आदेश /निर्णय विशिष्ठतया मध्यप्रदेश राज्य के विरुद्ध पारित किया जाता, तब विधि विभाग को सूचित करना तथा उसकी प्रमाणित प्रति प्राप्त करने के लिए उसी दिन या आगामी कार्य दिवस को आवेदन करना।
 - अपनी रिपोर्ट के साथ आदेश / निर्णय की प्रमाणित प्रति तथा शासकीय अधिवक्ता की राय अगली कार्यवाही किये जाने के लिए इस विभाग को भेजेगा।



(10)

यह देखना है कि आवेदन करने में तथा प्रमाणित प्रतियाँ प्राप्त करने. रिपोर्ट बनाने राय प्राप्त करने और उसकी सूचना देने में समय नष्ट नहीं डों।

(11)

जैसे ही एसे अपना स्थानान्तरण आदेश प्राप्त होता है वह अर्द्ध शासकीय पत्र के माध्यम से तत्काल जानकारी देगा। वह वर्तमान पद का भार सौंपने के पश्चात् भी तब तक प्रभारी अधिकारी बना रहेगा, जब तक कि अन्य प्रभारी अधिकारी वियुक्त नहीं कर दिया जावे।

(12)

प्रभारी अधिकारी मामला तैयार करने में शासकीय अधिवक्ता को हरसंभव सहयोग देगा तथा इस बात के लिए उत्तरदायी होगा कि कोई महत्वपूर्ण तथ्य या दस्तावेज अप्रकृटित/छुपी न रह जावे।

(13)

प्रभारी अधिकारी या यदि लोक अभिभाषक मुकर्रर है तो वह जैसे ही बात का विनिश्चय होता है परिणाम की रिपोर्ट विभागाध्यक्ष के माध्यम से सरकार को करेगा। निर्णय की एक प्रति अभिप्राप्त की जाये और रिपोर्ट के साथ भेजी जाए।

(14)

प्रमारी अधिकारी या यदि लोक अभिनाषक मुकर्रर है तो इस बात के लिए उत्तरदायी होगा कि उन मामलों में जहाँ किसी वाद के प्रत्रम में कार्यवाही की गई है। अतएव वह उस आदेश की प्रति जैसे ही वह पारित किया जय विभागाध्यक्ष के माध्यम से अपनी अनुशंसा के साथ सरकार (प्रशासकीय विभाग) को अग्रेषित करें।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा

(बबीता वसुनिया) अवर तिचव म.प्रशासन् सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण दिमाग